न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
06/2022/प्रा.पत्र/2022	16.03.2022	15.06.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

......आवेदक

बनाम

श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. निवासी एफ–67, दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज.

......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उपस्थित।
2—अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:—निर्णय—: दिनांक **15.06.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.09.2021 को समय 03:39 पी.एम. पर मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री निहाल चन्द जैन ने स्वयं को मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** दुकान में कागज के कार्टून में 898—898 ग्राम के मूल पैक रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** 800 ग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 200–200 ग्राम भरकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2934 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2934 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्यें‍क भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** का नमूना क्रय करते समय श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 21 / 3094 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 1167 / एक्ट / 2021 / 1148 दिनांक 08.10.2021 के अनुसार विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** एफ.एस.एस.ए की धारा **3(1)(zz)(iv)** व **3(1)(zz)(xi)** का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी।

श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक के व्यवहारी ने समयावधि में धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, अपील पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जाचं रिपोर्ट कमांक एफटी / एक्यूसीएल / एफ.एस.एस.ए. / 1099 एफ / 2021 दिनांक 18.01.2022 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। प्रकरण में अप्रार्थी ने **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** नमूना जांच **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन पर शास्ति रूपये 1,00,000/— (अक्षरे एक लाख रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0